न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–206/2010

CIS NO. PS 13/2019

बीबी अख्तरी बेगम..वादिनी

बनाम

बीबी सजीना खातुन एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 18.12.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 19.02.2025 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी की ओर से अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। बहस के दौरान पता चला कि प्रतिवादी सं0–01ए नाजिस रहमानी अपने प्रतिस्थापन के समय नाबालिग थी, लेकिन इस स्तर पर वह वयस्क हो गई है, लेहाजा वर्तमान संशोधन दिया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादिनी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगी। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादिनी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादिनी का आवेदन दिनांक 18.12.2024 स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय	

<u>**न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज**</u>

<u>**बंटवारा वाद सं0–206/2010**</u>

<u>**CIS NO. PS 13/2019**</u>

बीबी अख्तरी बेगम..वादिनी

बनाम

बीबी सजीना खातुन एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **19.02.2025**	सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। प्रतिवादीगण को भी स्वत्रंतता होगी की वह वादपत्र में संशोधन के परिपेक्ष्य तक प्रतिवाद पत्र में अगर आवश्यक समझें तो संशोधन कर सकता है। वाद दिनांक 05.03.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	